FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

मंगलाराम बनाम गिर्राज वगैरह मु.न. 94 / 2025

किस्म मुकदमा – वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	यह वादपत्र वादी की ओर से अभिभाषक श्री गिरिराज प्रसाद सैन द्वारा बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	29.8.25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तामीलें / तामील रजि० डाक रसीद पेश नहीं की। इससे स्पष्ट है कि वादी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	